

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 380

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय:- महाराष्ट्र में कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या का मुद्दा

380. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या के मुद्दों को हल करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) कृषि संकट और किसानों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या हैं और इन कारणों की पहचान किस आधार पर की जाती है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा की गई उक्त पहल पर्याप्त है;
- (ङ) यदि नहीं, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (च): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) अपने प्रकाशन 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' (ए.डी.एस.आई.) में आत्महत्याओं के संबंध में जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एन.सी.आर.बी. की वेबसाइट (<https://ncrb.gov.in>) पर उपलब्ध है। ए.डी.एस.आई. रिपोर्ट 2020, 2021 और 2022 में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। किसानों की समग्र आय और

कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीशोर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
